भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †1887
31 जुलाई 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए नई राजसहायता योजनाएँ

†1887. श्री अरूण नेहरू:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़ी इकाइयों सहित विभिन्न स्तरों के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफपीआई) को समर्थन देने के लिए नई राजसहायता योजनाएँ शुरू की हैं और यदि हॉं,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों के लिए योजनाओं हेतु कुल आवंटन कितना है और अपेक्षित परिणाम क्या हैं;

(ग) फसल-कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और फलों, सब्जियों और खराब हो जाने वाली वस्तुओं की शेल्फ लाइफ में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने वर्ल्ड फूड इंडिया जैसे आयोजनों के माध्यम से निवेश बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए पहल की हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) उक्त योजनाएं मूल्य संवर्धन को बढ़ाने, खाद्य अपव्यय को कम करने और भारत को एक अग्रणी खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने संबंधी अपने उद्देश्य को किस प्रकार पूरा करेंगी?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) लघु, मध्यम और वृहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की दो योजनाएं अर्थात् प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) को लागू कर रहा है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सूक्ष्म उद्यमों के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना, प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) भी लागू कर रहा है । इन योजनाओं के अंर्तगत आवंटित धनराशि और स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

योजना	कार्यान्वयन अवधि	योजना के लिए स्वीकृत परिव्यय रुपये में)	योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
पीएमकेएसवाई	वर्ष 2021-2026	5,520	1601
पीएमएफएमई	वर्ष 2020-2026	10,000	1,44,517 (ऋण से जुड़ी सब्सिडी स्वीकृत)
पीएलआईएसएफपीआई	वर्ष 2021-2027	10,900	170

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान सहायता /सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे शीत श्रृंखला अवसंरचना सहित प्रसंस्करण और परिरक्षण दोनों प्रकार की अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण होता है। घटक योजनाओं के अंतर्गत निर्मित सुविधाएँ कच्चे कृषि उत्पादों के परिरक्षण एवं प्रसंस्करण तथा कच्चे एवं तैयार उत्पादों के परिवहन में मदद करती हैं, जिससे कृषि उत्पादों के फसलोत्तर नुकसान को कम किया जा सकता है।

खाद्य विकिरण सुविधाओं से, शेल्फ लाइफ बढ़ाकर फसलोत्तर नुकसान और विकारी कृषि उत्पादों के अपव्यय को कम करने में मदद मिलती है। खाद्य विकिरण इकाइयों को, पीएमकेएसवाई की घटक योजना, एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

इन योजनाओं का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है, जिसमें भंडारण, परिवहन, मूल्य वर्धन आदि शामिल हैं, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सके और अधिक संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हो सकें, कृषि उपज का अपव्यय कम हो, फसलोत्तर नुकसान में कमी आए, उत्पादकता बढ़े और प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि हो।

(घ) एवं (ङ) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2017, 2023 और 2024 के दौरान तीन बार वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यूएफआई) का आयोजन किया है और चौथा आयोजन 25 से 28 सितंबर, वर्ष 2025 के दौरान आयोजित किया जाएगा। डब्ल्यूएफआई का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं, प्रौद्योगिकी एवं उपकरण निर्माताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं, लॉजिस्टिक कंपनियों, खाद्य उत्पादों के विनिर्माण और व्यापार में शीत श्रृंखला संचालकों के लिए भारत में उपलब्ध व्यापक निवेश अवसरों को प्रदर्शित करना है । डब्ल्यूएफआई प्रदर्शनी में भागीदारी से प्रदर्शकों को व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने और भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों, निवेशकों एवं सरकार के साथ साझेदारी के निर्माण में मदद मिलती है ताकि वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भारत के खाद्य बाजार और आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकें।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय , प्रसंस्करण क्षमताओं के सृजन और विस्तार हेतु विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से, खाद्यान्नों की हानि को न्यूनतम करने, खाद्यान्नों की बर्बादी में कमी लाने, मूल्य वर्धन बढ़ाने और प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। वर्ल्ड फूड इंडिया, वर्ष 2025, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसके एकीकरण को सुगम बनाकर खाद्य उद्योग के विकास में उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका को और सुदृढ़ करेगा।

*****